प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक १२१ सन् १९९९

शेख राम यादव

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश : मैं सहमत हूं।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक **२०-१०-२०११** को सूचीबद्ध करें

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

+उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

युगलपीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक १२१ सन् १९९९

अपीलार्थी: शेख राम यादव, पिता बारातु यादव, आयु लगभग ४० वर्ष, निवासी ग्राम मुनगेसर, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर (मध्य प्रदेश), वर्तमान में छत्तीसगढ़।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा आरक्षी केंद्र मंदिर हसौद, जिला रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: श्रीमती रेणु कोचर एवं श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री अजय द्विवेदी, उप-शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३७४(२) के अंतर्गत दाण्डिक अपील।

निर्णय

(दिनांक २०-१०-२०११ को उद्घोषित)

न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा द्वारा:

यह अपील सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक ३९२/१९९६ में दिनांक २६-०६-१९९७ को पारित निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी शेख राम यादव को भारतीय दण्ड संहिता

की धारा ३०२ के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा उसे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

२. अभियोजन का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है:–

अपीलार्थी एवं मृतका फुलेश्वरिबाई के मध्य अवैध संबंध थे, जिसके कारण मृतका के पति ने उसे त्याग दिया था। तत्पश्चात् मृतका अपने बच्चों के साथ गाँव से बाहर स्थित एक मकान में निवास करने लगी थी। अपीलार्थी वहाँ उससे मिलने जाया करता था।

घटना के पूर्व भी, अर्थात् घटना दिनांक १८-०५-१९९६ से पहले, वह उससे झगड़ा करता था तथा उसके साथ मारपीट भी करता था। घटना के दिन की रात्रि में मृतका का पुत्र तेजराम (अ.स.-१६) अपने कार्य पर जाने के कारण घर से बाहर चला गया था। मृतका की बड़ी पुत्री पड़ोसी साधना (अ.स.-४) के घर सोई थी, उसकी छोटी पुत्री सुरुचि (अ.स.-१४) गाँव बड़े मुनारी गई हुई थी तथा मृतका उस समय घर में अकेली थी। उसी रात्रि लगभग १ बजे, अपीलार्थी ने मृतका पर मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगा दी। इसके पश्चात् अपीलार्थी वहाँ से भागने लगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चीख-पुकार करते हुए मृतका अपीलार्थी के पीछे-पीछे घर से बाहर आई। पड़ोस में रहने वाले पुरषोत्तम (अ.स.-१), प्यारे लाल तथा प्रमिला (अ.स.-५) ने अपीलार्थी को घटना-स्थल से भागते हुए देखा। पुरषोत्तम (अ.स.-१) ने अपीलार्थी की साइकिल पकड़ने का प्रयास किया, किन्तु अपीलार्थी भागने में सफल रहा। मृतका ने पड़ोसियों एवं ग्रामीणों को बताया कि अपीलार्थी ने ही उस पर आग लगाई थी और भाग गया। मृतका को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ दिनांक २३-०५-१९९६ को

उसकी मृत्यु हो गई। मृतका की मृत्यु की सूचना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर द्वारा थाना सिटी कोतवाली, रायपुर को (प्र.पी.-४) के माध्यम से दी गई। दिनांक २३-०५-१९९६ को थाना सिटी कोतवाली, रायपुर में मर्ग सूचना (प्र.पी.-३) दर्ज की गई तथा इसके पश्चात् दिनांक ०९-०६-१९९६ को थाना मंदिर हसौद, रायपुर में नियमित मर्ग सूचना (प्र.पी.-६) दर्ज की गई।

दिनांक १२-०६-१९९६ को थाना प्रभारी जोगेन्द्र सिंह, थाना मंदिर हसौद (अ.स.-२५) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-१७) दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर पहुँचा, पंचों को सूचना (प्र.पी.-७) दी तथा मृतका के शव का पंचनामा (प्र.पी.-८) तैयार किया। मृतका के शव को शव परीक्षण हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शव परीक्षण डॉ. अरविंद नेरुलवार (अ.स.-२३) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्र.पी.-१५ में यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण जलने से उत्पन्न सिंकोप (बेहोशी/अचेत अवस्था) था।

आगे की विवेचना में घटनास्थल का नक्शा प्र.पी.-१ पटवारी देवराज दीवान (अ.स.-११) द्वारा तैयार किया गया। एक अन्य घटनास्थल नक्शा (प्र.पी.-२) थाना प्रभारी जोगेन्द्र सिंह (अ.स.-२५) द्वारा भी तैयार किया गया। गुलाबी साड़ी, लाल जूता, चिमनी, बीड़ी, चूड़ियों के टुकड़े तथा मिट्टी के तेल का डिब्बा (प्र.पी.-१०) के माध्यम से जप्त किया गया। अपीलार्थी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसका परीक्षण डॉ. कृपाशंकर राय (अ.स.-२२) द्वारा किया गया तथा उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्र.पी.-१३) प्रस्तुत की।

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,

जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, रायपुर को विचारण हेतु उपार्पित किया। सत्र न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।

अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अपीलार्थी ने आरोप से इंकार किया। अभियोजन पक्ष द्वारा पुरषोत्तम (अ.स.-१), मनहरणलाल (अ.स.-२), सुनीता उर्फ तिजिया (अ.स.-३), साधना वर्मा (अ.स.-४), प्रमिला (अ.स.-५), दुलारी (अ.स.-६), गौतम (अ.स.-७), रारुहा (अ.स.-८), रमाशंकर मिश्रा (अ.स.-९), पवन कुमार (अ.स.-१०), देवराज दीवान (अ.स.-११), विजय लक्ष्मी (अ.स.-१२), कमल नारायण (अ.स.-१३), सुरुचि (अ.स.-१४), किसन लाल वर्मा (अ.स.-१५), तेजराम (अ.स.-१६), सुकलाल (अ.स.-१७), खोरबहारा (अ.स.-१८), डॉ. पी. एल. यादव (अ.स.-१९), खेड़ऊ सिंह चौहान (अ.स.-२०), भरतलाल कुर्मी (अ.स.-२१), डॉ. कृपाशंकर राय (अ.स.-२२), डॉ. अरविंद नेरुलवार (अ.स.-२३), रामकृष्ण शुक्ला (अ.स.-२४) तथा जोगेन्द्र सिंह (अ.स.-२५) का परीक्षण कराया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव में रामधीन (ब.स.-१) का परीक्षण कराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

३. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रेणु कोचर एवं श्री अभय तिवारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन का संपूर्ण मामला मौखिक मृत्युकालिक कथन पर आधारित है, जो स्वभावतः अविश्वसनीय एवं असंगत है। पुरषोत्तम (अ.स.-१) के अनुसार, वे सर्वप्रथम पुलिस थाने गए थे तथा उसके पश्चात् अस्पताल गए, किन्तु पुलिस थाने में कोई सूचना दर्ज नहीं कराई गई। मृतका को जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतका को अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय अस्पताल द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। अस्पताल द्वारा पुलिस

को सूचना केवल मृतका की मृत्यु के पश्चात् भेजी गई। विद्वान अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-१७) विलंब से दर्ज की गई है तथा इस विलंब के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ये सभी तथ्य अभियोजन के मामले पर संदेह उत्पन्न करते हैं। विद्वान अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश प्रतीत होती है। अभियोजन अपने प्रकरण को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अपीलार्थी आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

४. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री अजय द्विवेदी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय त्रुटिरहित है तथा उसमें इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

५. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी अवलोकन किया है। अपीलार्थी की भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ के अंतर्गत दोषसिद्धि, मृतका द्वारा पुरषोत्तम (अ.स.-१), साधना वर्मा (अ.स.-४), दुलारी (अ.स.-६), सुकलाल (अ.स.-१७) तथा खोरबहारा (अ.स.-१८) के समक्ष किए गए मौखिक मृत्युकालीन कथन पर आधारित है।

६. मृत्युकालीन कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा ३२ के अंतर्गत निःसंदेह स्वीकार्य है; तथा चूँकि यह शपथ पर दिया गया कथन नहीं होता, जिसकी सत्यता का परीक्षण प्रतिपरीक्षा द्वारा किया जा सके, इसलिए न्यायालयों को ऐसे कथन पर कार्यवाही करने से पूर्व अत्यंत कठोर परीक्षण एवं अत्यधिक

सावधानी बरतनी होती है। यद्यपि मृत्यु के निकट पहुँचे व्यक्ति के कथन को गंभीरता एवं पवित्रता के साथ देखा जाता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने या किसी निर्दोष व्यक्ति को फँसाने हेतु कहानी गढ़ने की संभावना नहीं रखता; तथापि न्यायालय को इस बात के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है कि मृतका का कथन किसी प्रकार की सिखावट, उकसावे अथवा कल्पना का परिणाम न हो। न्यायालय को यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि मृतका कथन देते समय स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी तथा वह किसी प्रभाव, दबाव या वैमनस्य के बिना कथन कर रही थी। एक बार यदि न्यायालय यह संतुष्ट हो जाए कि मृत्युकालीन कथन सत्य एवं स्वैच्छिक है, तो वह बिना किसी अतिरिक्त पुष्टिकरण के भी दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

७. हेइक्रुजाम चाओबा सिंह बनाम मणिपुर राज्य, ए.आई.आर. २००० एस.सी. ५९, के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया–

> "३. निःसंदेह मौखिक मृत्युकालीन कथन दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, यद्यपि सावधानी के नियम के रूप में न्यायालय सामान्यतः उसके पुष्टिकरण की अपेक्षा करते हैं। किन्तु ऐसे कथन पर कार्यवाही करने से पूर्व न्यायालय को उसकी सत्यता के विषय में तथा इस बात के विषय में संतुष्ट होना आवश्यक है कि उक्त कथन मृतक द्वारा ऐसी अवस्था में किया गया था, जब वह कथन देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था। मृत्युकालीन कथन को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए तथा जिस साक्षी के समक्ष ऐसा मौखिक कथन किया गया हो, उसे विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। ....."

८. अब हम मौखिक मृत्युकालीन कथन से संबंधित साक्ष्य पर विचार करेंगे।

९. पुरषोत्तम (अ.स.-१) ने अपने कथन में बताया कि शुक्रवार को, अर्थात् घटना के दिन, रात्रि लगभग १ बजे, वह अपने घर के बाहर सो रहा था। उसने मृतका की चीख-पुकार सुनी और देखा कि अपीलार्थी मृतका के घर से बाहर आ रहा था तथा मृतका भी अपीलार्थी के पीछे-पीछे घर से बाहर आ रही थी। उसने अपीलार्थी की साइकिल का हैंडल पकड़ने का प्रयास किया, किन्तु अपीलार्थी भागने में सफल रहा। मृतका उसके घर आई और एक खाट पर लेट गई। उसी समय प्रमिला (अ.स.-५), साधना वर्मा (अ.स.-४), किशन (अ.स.-१५) तथा सुनीता उर्फ तिजिया (अ.स.-३) भी वहाँ आ गए। मृतका ने उन्हें घटना का विवरण बताया कि अपीलार्थी ने ही उस पर आग लगाई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

१०. सुनीता उर्फ तिजिया (अ.स.-३) ने अपने कथन में बताया कि पुरषोत्तम (अ.स.-१), साधना वर्मा (अ.स.-४) के घर गया और उसे (सुनीता उर्फ तिजिया - अ.स.-३) घटना के संबंध में बताया। इसके पश्चात् सुनीता उर्फ तिजिया (अ.स.-३), पुरषोत्तम (अ.स.-१) के घर गई, जहाँ उसकी माता, अर्थात् मृतका, जली हुई अवस्था में खाट पर लेटी हुई थी। उसने अपनी माता से कोई प्रश्न नहीं किया।

११. साधना वर्मा (अ.स.-४) ने अपने कथन में बताया कि शुक्रवार को, अर्थात् घटना के दिन, रात्रि लगभग १२:४५ बजे, पुरषोत्तम (अ.स.-१) उसके घर आया और दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दरवाज़ा खोला, तो उसने उसे घटना का विवरण बताया कि अपीलार्थी ने मृतका को आग लगा दी है। इसके पश्चात् उसने यह घटना सुनीता उर्फ तिजिया (अ.स.-३) को बताई और तत्पश्चात् वे दोनों पुरषोत्तम (अ.स.-१) के घर के आँगन में पहुँचे, जहाँ

मृतका जली हुई अवस्था में पड़ी थी। मृतका ने उसे बताया कि अपीलार्थी ने ही उस पर आग लगाई थी।

१२. दुलारी (अ.स.-६) ने अपने कथन में बताया कि मृतका ने उससे कहा था कि अपीलार्थी ने माचिस से उस पर आग लगाई थी।

१३. खोरबहारा (अ.स.-१८) ने अपने कथन में बताया कि पूछे जाने पर मृतका ने उससे कहा कि अपीलार्थी ने उस पर आग लगाई और भाग गया। तत्पश्चात् उसे थाना ले जाया गया।

१४. सुकलाल (अ.स.-१७) ने भी अपने कथन में बताया कि पूछे जाने पर मृतका ने उससे कहा कि अपीलार्थी ने ही उस पर आग लगाई थी। उस समय वहाँ पुरषोत्तम (अ.स.-१), प्यारे लाल, वह स्वयं, एक हेमराय, खोरबहारा (अ.स.-१८), रामधीन (ब.स.-१), एक परसराम तथा रारुहा (अ.स.-८) उपस्थित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

१५. अब हम यह परीक्षण करेंगे कि उपर्युक्त मौखिक मृत्युकालीन कथन विश्वसनीय है अथवा नहीं, तथा क्या उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

१६. डॉ. पी. एल. यादव (अ.स.-१९) ने अपने कथन में बताया कि मृतका फुलेश्वरिबाई, आयु लगभग ३० वर्ष, को दिनांक १८-०५-१९९६ को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर में भर्ती किया गया था। जब उसे अस्पताल लाया गया, उस समय उसे लगभग ६५% जलने की चोटें आई हुई थीं। अपने कथन के दौरान उन्होंने मृतका से संबंधित बेड हेड टिकट (प्र.पी.-११) न्यायालय में प्रस्तुत किया। बेड हेड टिकट (प्र.पी.-११) के साथ ग्राम पंचायत मुनगेसर द्वारा पारित एक प्रस्ताव संलग्न है। उक्त प्रस्ताव का सुसंगत अंश निम्नानुसार उद्धृत किया गया है–

"ग्राम पंचायत मुनगेसर के अंतर्गत ग्राम मुनगेसर में श्रीमती फुलेश्वरी बाई वर्मा रहती हैं। ये जल गई हैं, जिसका इलाज करवाने वाला कोई नहीं है। अतः इसके इलाज हेतु शासकीय अनुदान दिलाये जाने हेतु कमेटी द्वारा प्रस्तावित की जाती है। इसके पास खेत, जमीन भी नहीं है।

विजय लक्ष्मी शर्मा
सरपंच
ग्राम पंचायत मुनगेसर
विकासखंड आरंग, जिला रायपुर, (म.प्र.)"

१७. बेड हेड टिकट (प्र.पी.-११) के साथ संलग्न ग्राम पंचायत मुनगेसर द्वारा पारित प्रस्ताव के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रस्ताव खोर बहारा (अ.स.-१८), सुकलाल (अ.स.-१७) तथा रामधीन (ब.स.-१) की उपस्थिति में पारित किया गया था। ये सभी ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों की हैसियत से पंचायत में उपस्थित थे। यदि मृतका द्वारा कोई मृत्युकालीन कथन किया गया होता, तो उसका उल्लेख ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में अवश्य किया जाता। प्रस्ताव में मृतका द्वारा किसी भी प्रकार के कथन का उल्लेख न होना अभियोजन के प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। उक्त प्रस्ताव में केवल यह उल्लेख है कि मृतका के उपचार हेतु, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, ग्राम पंचायत द्वारा उसे शासकीय अनुदान दिलाए जाने की अनुशंसा की गई है। इस परिस्थिति में खोर बहारा (अ.स.-१८) एवं सुकलाल (अ.स.-१७) का साक्ष्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

१८. पुरषोत्तम (अ.स.-१) तथा सुकलाल (अ.स.-१७) ने अपने कथनों में बताया कि रारुहा (अ.स.-८) ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, किन्तु अभियोजन द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। रारुहा (अ.स.-८) ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने इस घटना के संबंध में थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। जोगेन्द्र सिंह (अ.स.-२५) ने अपने कथन में बताया कि उसे मृतका की मृत्यु की सूचना थाना सिटी कोतवाली, रायपुर से प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात् वह घटना-स्थल पहुँचा। उसने यह भी इंकार किया कि थाना सिटी कोतवाली, रायपुर से मर्ग सूचना (प्र.पी.-३) प्राप्त होने के पूर्व थाना मंदिर हसौद में कोई रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यदि वास्तव में अपीलार्थी ने मृतका पर आग लगाई होती, तो इस संबंध में पुलिस को अवश्य सूचना दी जाती। इस प्रकार पुलिस को घटना की सूचना न दिया जाना अभियोजन के प्रकरण को और अधिक संदिग्ध बनाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

१९. मृतका को दिनांक १८-०५-१९९६ को जली हुई अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, किन्तु उस समय न तो इस संबंध में पुलिस को कोई सूचना दी गई और न ही अस्पताल द्वारा पुलिस को कोई सूचना भेजी गई। यदि वास्तव में अपीलार्थी ने मृतका पर आग लगाई होती, तो मृतका स्वयं या उसे अस्पताल ले जाने वाले व्यक्तियों द्वारा यह तथ्य अस्पताल में भर्ती करने वाले चिकित्सक को अवश्य बताया जाता और इसका उल्लेख बेड हेड टिकट (प्र.पी.-११) की प्रविष्टियों में किया गया होता। चिकित्सक द्वारा पुलिस को भी सूचना दी जाती तथा मृतका के मृत्युकालीन कथन के अभिलेखन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाती। इस प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः उपर्युक्त साक्षियों के समक्ष मृतका द्वारा किसी भी प्रकार का मौखिक मृत्युकालीन कथन किया जाना अविश्वसनीय प्रतीत होता है।

२०. बेड हेड टिकट (प्र.पी.-११) के साथ संलग्न ग्राम पंचायत मुनगेसर के उक्त प्रस्ताव पर पंचायत की सरपंच विजयलक्ष्मी (अ.स.-१२) के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपने कथन में कहीं भी यह नहीं कहा कि मृतका ने कोई मृत्युकालीन कथन किया था। खेड़ऊ सिंह चौहान (अ.स.-२०) ग्राम कोटवार है। उसने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। उसने अपने कथन में बताया कि पूछे जाने पर मृतका ने उससे कहा कि उसने अपने बच्चों के कारण स्वयं पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। रामधीन (ब.स.-१) भी ग्राम पंचायत मुनगेसर का वार्ड सदस्य था। उसने भी अपने कथन में बताया कि पूछे जाने पर मृतका ने उससे कहा था कि वह अपने बच्चों के कारण मर रही है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

२१. पुरषोत्तम (अ.स.-१) एवं सुकलाल (अ.स.-१७) ने अपने कथनों में यह स्वीकार किया कि जिस स्थान पर मृतका खाट पर लेटी हुई थी, वहाँ रामधीन (ब.स.-१), सरपंच विजयलक्ष्मी (अ.स.-१२), प्रमिला (अ.स.-५) तथा किसन लाल वर्मा (अ.स.-१५) भी उपस्थित थे, किन्तु इनमें से किसी ने भी मृतका द्वारा किए गए किसी मृत्युकालीन कथन के संबंध में कोई कथन नहीं दिया। यहाँ तक कि मृतका की पुत्री सुरुचि (अ.स.-१४) ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। सुकलाल (अ.स.-१७) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया कि जब ग्राम कोटवार खेड़ऊ सिंह चौहान (अ.स.-२०) घटना के संबंध में मुनादी कर रहा था, तब समय लगभग रात्रि १०-११ बजे का था और उसके ४-५ मिनट पश्चात् वह घटना-स्थल पर पहुँचा। अभियोजन के अनुसार घटना लगभग रात्रि १ बजे घटित हुई थी, जबकि सुकलाल (अ.स.-१७) के अनुसार वह १०-११ बजे घटना-स्थल पर पहुँचा। इस प्रकार इस संबंध में उसका साक्ष्य संदिग्ध प्रतीत होता है।

२२. मृतका को दिनांक १८-०५-१९९६ को जलने की चोटें आई थीं और उसकी मृत्यु दिनांक २३-०५-१९९६ को हुई, जबकि साक्षियों के कथन दिनांक १२-०६-१९९६ को दर्ज किए गए। साक्षियों के कथन दर्ज किए जाने में हुए इस विलंब के संबंध में अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह परिस्थिति भी अभियोजन के प्रकरण को संदेहास्पद बनाती है।

२३. प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, हम मृतका द्वारा कथित रूप से पुरषोत्तम (अ.स.-१), साधना वर्मा (अ.स.-४), दुलारी (अ.स.-६), सुकलाल (अ.स.-१७) तथा खोरबहारा (अ.स.-१८) के समक्ष किए गए मौखिक मृत्युकालीन कथन के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखने में असमर्थ हैं। हमारा मत है कि उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर की गई दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है तथा अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

२४. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वह वर्तमान में जमानत पर है; अतः उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर. एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By - Aditya Mishra

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur